न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O). सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–37 / 2022

प्रार्थी:–

फोजराज पुत्र वरदाराम जाति पुरोहित निवासी अर्थण्डी तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08.04.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रातडी पटवार मण्डल रातडी खसरा संख्या 105, 359, 630, 312,319,327,328,219,225,253,277,569,686,688,692 व 696 रकबा क्रमशः 3.1970, 5.5523,0.3157,10.6999 व 51.6215 हैक्टयर की भूमि आई हुई है प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,बैंक डायरी इत्यादि में प्रार्थी का नाम ''फोजाराम पुत्र वरदराम जाति पुरोहित'' दर्ज है। प्रार्थी को सभी जगह इसी नाम से जाना पहचाना जाता है ग्राम पंचायत सेवाली व रातड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम ''फोजराज पुत्र वरदाराम जाति पुरोहित'' अंकित है। मौजा ग्राम अर्थण्डी पटवार मण्डल रातडी में आये उपरोक्त खसरा की खातेदारी में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश ''कोजाराम पुत्र विरधाराम व फौजराज पुत्र विरदा व फौजराज पुत्र विरदाराम ''अंकित कर दिया जिससे सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं '' कोजाराम पुत्र विरधाराम'' व '' फौजराज पुत्र विरदा व फौजराज पुत्र विरदाराम'' नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:21 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत माफिक इस्तदुआ सहमति जाहिर की।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात,सहखातेदारी की सहमति व ग्राम पंचायत रातडी व सेवाली द्वारा जारी प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

...ार पर कोजाराम पुत्र विरधाराम'' व '' फौजराज पुत्र विरदा के स्थान पर ...ज पुत्र विरदाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम फौजराज पुत्र विरदाराम अंकित है। ग्राम पंचायत रातडी व सेवाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ''कोजाराम पुत्र विरधाराम ,फौजराज पुत्र विरदा'' व '' फौजराज पुत्र विरदाराम '' दोनो एक ही व्यक्ति है साथ ही सहखातेदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा अर्थण्डी पटवार मण्डल रातडी खसरा संख्या 105, 359, 630, 312, 319, 327,328,219,225,253,277,569,686,688,692 व 696 रकबा क्रमशः 3.1970,5.5523, 0.3157, 10.6999 व 51.6215 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम ''कोजाराम पुत्र विरधाराम व फौजराज पुत्र विरदा ''के स्थान पर ''फोजराज पुत्र विरदाराम'' शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:21 IST
Reason: SelfAttested